Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 152 : Attachment of property in custody of courts or Public Officer

Where the property to be attached is in the custody of any court or Public Officer, the proper officer shall send the order of attachment to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held till the recovery of the amount payable.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

नियम 152 : न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की

जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए।